

नरियातकों की मदद के लिये केंद्र की टैक्स रफिंड ड्राइव

चर्चा में क्यों?

पछिले कुछ महीनों से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रफिंड, सरकार और व्यापार जगत दोनों के लिये चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी तक सरकार द्वारा जीएसटी रफिंड के रूप में 30,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशियों को मंजूरी दी जा चुकी है। इस राशियों के अंतर्गत आईजीएसटी के 16,000 करोड़ रुपए और आईटीसी के 14,000 करोड़ रुपए को भी शामिल किया गया है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आईटीसी के आँकड़ों में केंद्र एवं राज्य दोनों ही सरकारों द्वारा दी गई मंजूरीयों को शामिल किया गया है।

- इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकार के पास 14,000 करोड़ रुपए के रफिंड के दावे लंबित हैं, जसमें इनपुट कर क्रेडिट दावों के साथ-साथ आईजीएसटी रफिंड दावों को भी शामिल किया गया है।

मुख्य बंदी

- सीबीआईसी (Central Board of Indirect Taxes and Customs -CBIC) ने जून के पहले पखवाड़े में टैक्स रफिंड ड्राइव लॉन्च करने के साथ-साथ नरियातकों द्वारा दायर रटिर्न में वसिंगतियों होने के कारण उनके रफिंड दावों को तेजी से नपिटाने के निर्देश जारी किये हैं।
- यह कदम नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को व्यवस्थित करने और नरियातकों के नकद धनराशि प्राप्त करने में सुविधा के लिये लाया गया है।
- बहुत समय से नरियातकों द्वारा यह शिकायत की जा रही थी कि रफिंड में होने वाली देरी के कारण उनके बीच न केवल परतसिपरद्धा में कमी आई है बल्कि उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है।
- यही कारण है कि सीबीआईसी द्वारा रफिंड में होने वाली देरी को कम करने की कोशिश की जा रही है लेकिन नरियातकों द्वारा दायर रटिर्न में व्याप्त वसिंगतियों इस राह में एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है।
- ऐसे में रफिंड प्रोसेसिंग प्रक्रिया में बदलाव होने और 31 मई से 14 जून तक रफिंड ड्राइव होने से इस समस्या का समाधान निकलने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
- नरियातकों द्वारा सरकार के इस कदम का स्वागत किया गया है। एफआईओ (Federation of Indian Exports Organisations - FIEO) के अनुसार, यह कदम विशेष रूप से उन नरियातकों की मदद करेगा, जिनका वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) रटिर्न में वसिंगतियों होने की वजह से रफिंड नहीं हो पा रहा था।
- 28 मई को सीबीआईसी द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों को जारी किये गए एक परिपत्र में विभिन्न परिदृश्यों के तहत, नरियातकों के रफिंड संबंधी दावों को आगे बढ़ाने के लिये नमिनलखिति प्रक्रियाओं को नरिदषिट किया गया है-
- सीमा शुल्क, केंद्र एवं राज्य जीएसटी पदाधिकारियों को 30 अप्रैल, 2018 को एवं उससे पहले प्राप्त समस्त जीएसटी रफिंड आवेदनों को नपिटाने को कहा गया है।
- इसमें नरियात पर अदा किये गए आईजीएसटी के रफिंड, अप्रयुक्त आईटीसी के रफिंड और 'फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01ए' में जमा किये गए सभी अन्य जीएसटी के रफिंड को शामिल किया गया है।
- इस परिपत्र में यह नहिति किया गया है कि नरियातकों ने अपने टैक्स रटिर्न दाखल करते समय अनजाने में नरियात पर भुगतान किये गए आईजीएसटी (integrated GST - IGST) को अंतरराज्यीय घरेलू आपूर्ति (interstate domestic supplies) पर भुगतान किये गए आईजीएसटी के रूप में घोषित कर दिया है।
- कुछ नरियातकों ने अपने सेल्स रटिर्न में घोषित देयता के खिलाफ कम करों का भुगतान किया है। इन वसिंगतियों के परिणामस्वरूप अभी तक रफिंड को संसाधित नहीं किया जा सका है।
- इस समस्या को ध्यान में रखते हुए एक नए तंत्र को स्थापित किया गया है लेकिन कुछ और मुद्दे रफिंड प्रक्रिया को नरिबाध बनाने में रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट रफिंड का दावा करने के लिये सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की आवश्यकता है, जसि पर काम किया जा रहा है।
- सभी जीएसटी रफिंड दावेदारों से कहा गया है कि 30 अप्रैल, 2018 को अथवा उससे पहले जमा किये गए अपने किसी भी रफिंड दावे के नपिटाने के लिये वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार कर प्राधिकरण में जाएँ।
- यदि किसी विशेष दावेदारी के लिये क्षेत्राधिकार (अर्थात् केन्द्र अथवा राज्य) को परभाषित नहीं किया गया है, तो वैसी स्थिति में वह इनमें से किसी भी क्षेत्राधिकार कर प्राधिकरण के यहाँ जा सकता/सकती है।
- सभी आईजीएसटी रफिंड दावेदार अपने रफिंड की ताजा स्थिति से अवगत होने के लिये आइसगेट वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
- सीमा शुल्क से जुड़े क्षेत्रीय कार्यालयों को नरिदेश दिया गया है कि वे नरियातकों की ओर से व्यापक कदम उठाए जाने को ध्यान में रखते हुए अपने अतिरिक्त श्रमबल और बुनियादी ढाँचागत संसाधनों को इस कार्य में लगा दें।

